संख्याः 541 /XII(1)/17-82(05)/2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

पंचायतीराज अनुभाग-1

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में माह अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 के लिए वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनॉक 31 मार्च 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्याः 19 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की कुल धनराशि रू0 340340 हजार (रू0 चौंतीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 31 मार्च 2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकरी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

संयुक्त निदेशक
निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून
27/5/17

वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्याः 19 के मुख्य लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, पंचायतीराज एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2017–18 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

7. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी॰एम॰–8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :– सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः —— (1)/ XII(1) /17-82(05)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
उप सचिव।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	233	233
42—अन्य व्यय	67	67
45—अवकाश यात्रा व्यय	33	33
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	33	33
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50	50
योग—	36551	36551

लेखाशीर्षक—2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—101—पंचायतीराज—

09—निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण—

(रूपये हजार में)

मानक मद	लेखानुदान	
	प्राविधान	आवंटन
42—अन्य व्यय	833	833
योग—	833	833

लेखाशीर्षक—2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—101—पंचायतीराज—

13—त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण—

(रूपये हजार में)

मानक मद	लेखानुदान	
	प्राविधान	आवंटन
42—अन्य व्यय	833	833
योग—	833	833

लेखाशीर्षक—2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—101—पंचायतीराज—

17—वन पंचायत (2515—00—800—04 से स्थानांतरित)

(रूपये हजार में)

मानक मद	लेखानुदान	
	प्राविधान	आवंटन
01—वेतन	1569	1569